राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक 2(4)न्याय/96 जयपुर, दिनांक 16.05. 2013

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर ।

विषय :- राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जयपुर एवं जोधपुर में सृजित एक-एक विशेष न्यायालय हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.02.2013 एवं आपका पत्रांक सामान्य/II/10/2013/599 दिनांक 27.04.2013.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि0 28.02.13 के द्वारा राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जयपुर एवं जोधपुर में सृजित एक-एक विशेष न्यायालय हेतु निम्नलिखित अस्थाई पद, पद भरे जाने क तिथि से दिनांक 28.02.2014 तक सृजित करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की है :-

क्र. सं.	पदनाम	पे स्केल / पे बेन्ड	ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	51550-63070	-	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2	स्टेनोग्राफर	(9300-34800)	3200	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3	रीडर	(5200-20200)	2400	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
4	वरिष्ठ लिपिक	(5200-20200)	2400	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
5	कनिष्ठ लिपिक	(5200-20200)	1900	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
6	च0 श्रे0 कर्मचारी	(4750-7440)	1300	8 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 4-4 पद)

उक्त न्यायालयों हेतु प्रति न्यायालय निम्नलिखित नवीन आईटम क्रय करने हेतु उनके सामने अंकित राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नवीन आईटम	राशि
1	फर्नीचर	2.50 लाख
2	टेलीफोन (2)	0.02 लाख
3	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर (3)	1.86 लाख
	कुल	4.38 लाख

उपरोक्त पदों, नवीन आईम्स एवं अन्य व्यय बजट शीर्ष 2014-00-105-(01) [00], गैर आयोजना मद में बजट अनुमान वर्ष 2013-14 में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जावेगा ।

उक्त न्यायालयों के भवन के निर्माण से संबंधित व्यय के लिए भूमि की उपलब्धता होने पर केन्द्र सरकार से केन्द्रीय

सहायता राशि प्राप्त होने पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 101301877 दिनांक 14.05.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है ।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

सही/-
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
2. सहायक नि0 लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. वित्त (नियम-5 / वित्त (बजट) /आयोजना विभाग ।
4. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ।
5. रक्षित पत्रावली

सही/-
उप शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायाल, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)104/13/3036-41 दिनांक : 6/6/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर एवं जोधपुर महानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

02. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारीयों के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

03. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

04. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

05. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

06. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

3041

रजिस्ट्रार (प्रशासन)